महत्वपूर्ण एवं खास

जिला रायगढ़ का नवीन भवन निर्माण हेतु भेजा जा रहा प्रस्ताव

रायगढ़। बीमार परिजन की देखभाल कर रहे थे, अस्पताल की छत से कांक्रीट गिरा, सिर फूटा तो खुद हो गए मरीज के संबंध में खबरें समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय रायगढ़ को चिकित्सा महाविद्यालय के संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति चिकित्सालय भवन में स्थानांतरित करना प्रक्रियाधीन है। वर्तमान भवन का कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग रायगढ़ के द्वारा निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अटल नगर नवा, रायपुर को भेजा जा रहा है।

आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन कैंप 5 अक्टूबर को

रायगढ़ । भारतीय डाक विभाग रायगढ़ संभाग द्वारा शा.उ.मा.वि.चक्रधरनगर रायगढ़ के सहयोग से 05 अक्टूबर 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधरनगर रायगढ़ में आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन का कैंप आयोजित किया जाएगा। जिसके माध्यम से उक्त तथा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकगणों के साथ-साथ आम आदमी भी संपर्क कर अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं एवं पुराने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार/अपडेशन(पता, मोबाईल नंबर, जन्म तिथि, नाम, बायोमेट्रिक अपडेट, ईमेल अपडेट इत्यादि का कार्य करवा सकेंगें। चूंकि बच्चों का 5 एवं 15 वर्ष की आयु अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अतिआवश्यक है। अधीक्षक डाकघर ने कहा है कि आप भी अपने बच्चों का डाक विभाग के माध्यम से आधार अपडेट उक्त कैंप में या अन्य किसी भी डाकघर से संपर्क कर अनिवार्य रूप से करवा सकते है।

अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । जिले में संचालित बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार खरसिया, संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बायसी धरमजयगढ़ एवं कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर घरघोड़ा में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मानदेय पर अतिथि शिक्षक पीजीटी/टीजीटी पदों पर भर्ती हेतु 8 अक्टूबर 2021 सायं 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार खरसिया में पीजीटी-भौतिक एवं टीजीटी-अंग्रेजी एक-एक पद रिक्त है। इसी तरह संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बायसी धरमजयगढ़ में टीजीटी-गणित, टीजीटी-अंग्रेजी एवं टीजीजी-विज्ञान एक-एक पद तथा कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर घरघोड़ा में टीजीटी-गणित, टीजीटी-अंग्रेजी, टीजीटी-विज्ञान एवं टीजीटी-हिन्दी में एक-एक पद रिक्त है। पीजीटी के लिए 250 रुपये एवं टीजीटी के लिए 200 रुपये मानदेय निर्धारित है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

आरटीई के तहत द्वितीय चरण हेतु छात्र पंजीयन के लिए 6 अक्टूबर तक खुला पोर्टल

रायगढ़ । शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण के लिए पोर्टल छात्र पंजीयन के लिए 6 अक्टूबर 2021 तक के लिए खोल दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परिलक्षित आदिम जनजाति, वनवासी, दिव्यांग, एचआईवी पीड़ित, गरीबी रेखा के नीचे परिवार के बच्चों का अशासकीय विद्यालय की एन्ट्री कक्षा नर्सरी अथवा केजी-1 तथा पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश हेतु साईट में ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन पंजीयन के पश्चात अभिभावक वांछित दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा सर्वे सूची के प्रमाण-पत्र, नोडल अधिकारी (शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी प्राचार्य)के पास जमा करें। आरटीई अंतर्गत बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए इच्छुक पालक अन्य जानकारी हेतु अपने क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय के प्राचार्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ से संपर्क कर सकते है।

सस्ती दवाई दुकान टेंडर प्रक्रिया जल्द करें पूर्ण-कलेक्टर

» लोगों को गीला-सूखा कचरा अलग देने करें जागरूक

» कलेक्टर सिंह ने ली जिले के नगरीय निकाय की बैठक

रायगढ़ । नगर निगम और जिले के सभी नगरीय निकायों में सस्ती दवाई दुकान स्थापित करना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें नगर निगम और जिले के सभी नगरीय निकाय टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित नगरीय निकाय की बैठक में कही।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि सस्ती दवाई दुकान से लोगों को 50 प्रतिशत से ज्यादा छूट पर ब्रांडेड जेनेरिक दवाई मिलेगी। इस पर टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर सस्ती दवाई दुकान स्थापित करें। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने नगरीय निकाय में चल रहे निर्माण कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत सभी निर्माण कार्य पर नगरीय निकाय सीएमओ को फोकस करना होगा। सभी निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो इस पर ध्यान देना होगा। इसी तरह गोधन न्याय योजना पर कलेक्टर सिंह ने चर्चा करते हुए कहा कि सभी नगरीय निकाय गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण पर विशेष ध्यान दें, जहां वर्मी कंपोस्ट की बिक्री नहीं हुई है वे कृषि विभाग से संपर्क कर वर्मी कंपोस्ट की बिक्री बढ़ाएं। इस दौरान उन्होंने सभी नगरीय निकाय सीएमओ को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में कन्वर्जन रेशियो पर ध्यान देने की बात कही। इसके बाद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और यूजर चार्जेस की वसूली पर चर्चा की गई। कलेक्टर सिंह ने कहा कि यूजर चार्जेस सतत् प्रक्रिया है। उन्होंने आने वाले समय में आवश्यकतानुसार यूजर चार्जेज बढ़ाने की बात कही। इस दौरान कचरा सेग्रीगेशन पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर सिंह ने कहा कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग फॉर्म में सभी स्वच्छता दीदियों को लेना है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके घरों के सामने ही कचरा को अलग-अलग करें, ताकि लोगों को सूखा और गीला कचरा को अलग-अलग देने को लेकर जागरूकता आए। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में बने सामुदायिक शौचालय और रख-रखाव की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में भी तेजी लाने की बात कही। इसी तरह अमृत मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर सिंह ने कहा कि नवंबर तक अमृत मिशन के कार्यों को पूर्ण करने और ओवरहेड टैंक निर्माण को जल्द करने के निर्देश दिए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन पर भी तेजी लाने की बात कलेक्टर सिंह ने कही। बैठक में निगम कमिश्नर एस.जयवर्धन, कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय सहित सभी नगरीय निकायों के सीएमओ व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

प्लास्टिक कैरीबैग पर करें कार्रवाई- निगम कमिश्नर जयवर्धन ने एसएलआरएम सेंटरों में रंगीन प्लास्टिक कैरीबैग की अधिकता होने और इसकी डिस्पोजल की परेशानी से कलेक्टर सिंह को अवगत कराया। इस पर कलेक्टर सिंह ने अंबिकापुर नगर निगम से बात करने और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी लेकर उसी अनुसार प्लास्टिक कैरीबैग का निबटान करने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि दुकान संचालकों की बैठक लेकर उन्हें प्लास्टिक कैरीबेग उपयोग न करने के लिए कहे। एक माह के पश्चात पर्यावरण संरक्षण मंडल, नगर निगम और अन्य विभागों की टीम द्वारा प्लास्टिक कैरीबैग पर छापामार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

तहसीलदार का फर्जी हस्ताक्षर करने वाले पटवारी जितेन्द्र पन्ना निलंबित

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.)घरघोड़ा ने पटवारी जितेन्द्र पन्ना को किसानों को प्रदाय की जाने वाली किसान-किताब में तहसीलदार तमनार का हस्ताक्षर न कराकर स्वयं उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को प्रदाय करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटवारी पन्ना को मुख्यालय तहसील कार्यालय घरघोड़ा में संलग्न किया गया है। ज्ञात है कि हल्का नंबर 14 एवं अतिरिक्त प्रभार हल्का नंबर 16 तहसील तमनार में पदस्थ पटवारी जितेन्द्र पन्ना के द्वारा किसानों को प्रदाय की जाने वाली किसान-किताब में तहसीलदार तमनार का हस्ताक्षर न कराकर स्वयं हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार तमनार का फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को किसान किताब प्रदाय किया गया है। तहसीलदार तमनार को जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित किसानों से किसान किताब मंगाकर जानकारी ली गई जिसमें हल्का पटवारी द्वारा कुल 12 किसान किताब में तहसीलदार तमनार का फर्जी हस्ताक्षर करना पाये जाने पर कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ की ओर उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करने व एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दिए जाने हेतु एसडीएम कार्यालय को प्रतिलिपि दिया गया है। छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(एक)(दो)(तीन)के विपरीत कृत्य होने के फलस्वरूप जितेन्द्र पन्ना को उक्त कृत्य के लिए छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

घरेलू हिंसा की शिकायत पर घर तक जांच में पहुंची महिला आयोग की सदस्य

रायगढ़। रायगढ़ निवासी एक महिला द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत की खबरें मीडिया में प्रकाशित होने पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक के निर्देश पर महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय प्रकरण की जांच के लिए रायगढ़ आयी। यहां वे महिला के घर पहुंची। जहां प्रकरण से जुड़ी पूरी जानकारी ली। प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है। जिसकी विवेचना की जा रही है। एक अन्य प्रकरण में महिला के पति द्वारा दूसरी शादी किया गया। महिला का बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, बावजूद पति द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिस पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। महिला आयोग द्वारा रायगढ़ में 18 अगस्त को की गई सुनवाई के आधार अन्य दूसरे प्रकरणों में निर्देशित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए सुनवाई की गई। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरण में दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में पुलिस विभाग को प्रकरण की जांच हेतु पुनः स्मरण पत्र भेजा गया है। इस दौरान मधु पाण्डे, शेख ताजिम, तपन घोष, जिला महिला बाल संरक्षण अधिकारी चैताली राय एवं शैली दीवान उपस्थित रही।

स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षक संवर्ग की संविदा नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 3 अक्टूबर को

रायगढ़ । जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षक संवर्ग की संविदा नियुक्ति हेतु सेंट जेवियर हाईस्कूल बोईरदादर, रायगढ़ में 3 अक्टूबर 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक सीधे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। पात्रताधारी आवेदक नियत तिथि एवं समय पर आवेदन पत्र एवं मूल अभिलेख एवं एक सेट सत्यापित प्रति सहित साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते है। अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण उपरांत साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार में अंग्रेजी भाषा में शिक्षण एवं विषय ज्ञान से संबंधित परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा के प्राप्तांक तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले की वेबसाइट https:// www. raigarh. gov.in में उपलब्ध है। नियुक्ति हेतु शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जिन पदों पर भर्ती की जाएगी इनमें बरमकेला एवं लैलूंगा में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम में वाणिज्य, भौतिकी एवं जीवविज्ञान में व्याख्याता पद में अनारक्षित वर्ग के लिए एक-एक पद रिक्त है। शिक्षक मिडिल स्कूल के तहत सारंगढ़ एवं बरमकेला में विज्ञान एवं गणित विषय में दो-दो पद अनारक्षित वर्ग के लिए तथा तमनार में अंग्रेजी विषय के लिए एक पद अनारक्षित वर्ग के लिए रिक्त है। सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल तमनार में कला संकाय के एक पद अ.ज.जा. वर्ग के लिए एवं धरमजयगढ़ में विज्ञान संकाय के लिए एक पद अनारक्षित वर्ग के लिए रिक्त है। उक्त पदों के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड, बीएलएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आवेदक को कक्षा 8 वीं 10 वीं एवं 12 वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

जिले में 930.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 30 सितम्बर तक 930.4 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 3.7 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 945.2 मिली मीटर, पुसौर में 1081.6, खरसिया में 873.4, सारंगढ़ में 993.9, बरमकेला में 785.2, घरघोड़ा में 901.7, तमनार में 830.7, लैलूंगा में 928.9 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 1054.3, सरिया में 783.7 तथा छाल में 1055.9 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

राज्यव्यापी महापरीक्षा अभियान में 8271 शिक्षार्थी हुए शामिल

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत पढ़ना लिखना अभियान के तहत शिक्षार्थियों का आकलन 120 घंटे अध्यापन के उपरांत राज्यव्यापी महापरीक्षा अभियान का आयोजन आज किया गया। जिसमें जिले के 356 केन्द्रों में कुल पंजीकृत 9483 शिक्षार्थियों में से 8271 शिक्षार्थी शामिल हुये। इस महापरीक्षा अभियान में स्वयंसेवी शिक्षकों ने 29 सितम्बर 2021 को शिक्षार्थी पर्ची बांटते हुए परीक्षा में शामिल होने हेतु निवेदन किया। साथ ही दीवार लेखन, मुनादी, रैली के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित कराने का प्रयास किया गया। सुचारू परीक्षा संपादन हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल स्त्रोत समन्वयक एवं संकुल समन्वयकों के द्वारा सघन मॉनीटरिंग की गई। अभियान के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. आदित्य एवं जिला मिशन समन्वयक आर.के.देवांगन के द्वारा भी विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

नवरात्र पर्व के संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये आगामी नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है।

मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी परंतु पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस)से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से 500 वर्ग फीट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 500 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, प्लस ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजीकल डिस्टेसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार की भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात भोज, भण्डारा अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे-धूमाल/ब्रास बेण्ड तथा अन्य वाद्य यंत्र जिनका पीएमपीओ 200 वाट से अधिक न हो के बजाने की अनुमति स्थापित पंडाल अथवा नियत स्थल के 100 मीटर के परिधि के अंतर्गत के लिए होगी। मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, धूमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़ा वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये 6 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिये प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नही होगी।

मूर्ति एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जाए। विसर्जन के लिये नगर-निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तो के साथ किसी परिसर के अंदर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है तो कम से 3 दिवस पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.)कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जाएगी, जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, रायगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480